GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COOPERATION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.110
TO BE ANSWERED ON 08/12/2021

MULTI STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES

***110. SHRI JOHN BRITTAS:**

Will the Minister of Cooperation be pleased to state:

(a) whether Government is aware that Multi State Co-operative Societies are violating various norms and the spirit of co-operation movement;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the response of Government thereto?

ANSWER

MINISTER OF COOPERATION

सहकारिता मंत्री (SHRI AMIT SHAH)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 110 DUE FOR REPLY ON 8TH DECEMBER, 2021

(a) & (b): The co-operative societies registered under the provisions of the Multi State Cooperative Societies (MSCS) Act, 2002 are functioning as autonomous cooperative organizations accountable to their members. Complaints have been received against some of the multi-State cooperative societies for violations of norms, including disputes pertaining to election related matters which are serious violations of spirit of co-operative movement. Complaints have also been received against non-repayment of deposits on maturity by the multi-State cooperative societies.

(c): Action against any violation is taken as per the provisions of MSCS Act, 2002, including appointment of arbitrators in case of disputes as also initiation of winding up proceedings against the delinquent societies. Action has been taken against 71 multi – State cooperative societies for winding up due to breach of spirit of co-operative movement.

*****

भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 110

08 दिसंबर, 2021 को उत्तरार्थ

बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटियां

***110. श्री जॉन ब्रिटास:**

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटियां विभिन्न मानदंडों का और सहकारी आंदोलन की भावना का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 08.12.2021 को उत्तरार्थ "बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटियां" के संबंध में श्री जॉन ब्रिटास, माननीय सांसद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 110 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): बहु-राज्यीय सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां अपने सदस्यों के प्रति जवाबदेह स्वायत्त सहकारी समितियों के रूप में कार्य कर रही हैं। निर्वाचन संबंधी मामलों में विवादों सहित मानदंडों के उल्लंघन सम्बन्धी कुछ बहु-राज्यीय सहकारी समिति के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो सहकारिता की भावना का गंभीर उल्लंघन है। बहु-राज्यीय सहकारी समितियों द्वारा परिपक्वता पर जमा राशि की अदायगी न करने के विरूद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग): एमएससीएस अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है जिसमें विवाद के मामले में मध्यस्थ की नियुक्ति और दोषी समितियों के विरूद्ध परिसमापन की कार्यवाही की शुरूआत भी शामिल है। सहकारिता आंदोलन की भावना का उल्लंघन करने के कारण 71 बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

*****

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the cooperative credit societies registered as Multi-State Cooperative Societies are not mandated to abide by KYC norms, that is, Know Your Client (KYC) norms. Considering that Multi-State Cooperative Societies are violating the norms, what steps the Government is taking to establish a regulatory body in order to govern the affairs of the Multi-State Cooperative Societies?

श्री बी.एल. वर्मा : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह Multi-State Cooperative Societies के जो बैंक होते हैं, उनसे संबंधित है। अगर ये बैंक संबंधित नियमों के तहत काम नहीं करते हैं, तो हम उन पर परिसमापन की कार्यवाही करते हैं और इसके लिए हमने परिसमापक नियुक्त किए हुए हैं।

श्री जयप्रकाश निषाद : माननीय उपसभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस देश में जितनी सहकारी समितियां हैं, उनसे संबंधित जो Multi-State Cooperative Societies हैं, क्या आप उनके लिए कोई ऐसा ठोस कदम उठाने का काम करेंगे, ताकि उपेक्षित समितियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए?

श्री बी.एल. वर्मा : हमारे यहां दो प्रकार की सहकारी समितियां होती हैं। यह प्रश्न Multi-State Cooperative Societies के संबंध में है, जो केन्द्र सरकार के अधीन आती हैं। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं कह सकता हूं कि उनकी चिंता राज्यों से संबंधित है और राज्यों से समन्वय स्थापित करके उन सहकारी समितियों को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, इसे हम देखते रहते हैं, चाहे वे PACS हों। PACS के माध्यम से हम नीचे तक सेवा करने का काम करते हैं। हमारे यहां 63,000 PACS हैं। उनके infrastructure को कैसे और अधिक मज़बूत करें, कैसे उनमें बढ़ोतरी करें और कैसे उनके शिक्षण-प्रशिक्षण को तेज़ी के साथ आगे ले जाएं, इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार के हमारे जो माननीय अधिकारी हैं, वे भी और हम भी राज्यों से सम्पर्क में रहते हैं। सहकारिता के मामले में, 'सहकार से समृद्धि' हमारा vision है। हम सहकारिता आन्दोलन को ज़मीनी स्तर तक मज़बूत करना चाहते हैं और उसमें आपके सुझाव के अनुसार हम पूरा काम कर रहे हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 111.